



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2147]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 2, 2016/भाद्र 11, 1938

No. 2147]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 2, 2016/ BHADRA 11, 1937

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 सितम्बर, 2016

का.आ. 2843(अ).—केन्द्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 435 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, मद्रास और मणिपुर के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से निम्नलिखित न्यायालयों को कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन दो वर्ष या उससे अधिक के कारावास के साथ दंडनीय अपराधों की शीघ्र सुनवाई का प्रावधान करने के प्रयोजनों के लिए विशेष न्यायालयों के रूप में पदाभिहित करती है, अर्थात् -

तालिका

क्र.सं.	विद्यमान न्यायालय	विशेष न्यायालय के रूप में अधिकारिता
(1)	(2)	(3)
1.	सेशन न्यायाधीश, बिलासपुर	छत्तीसगढ़ राज्य
2.	विशेष न्यायाधीश का न्यायालय (सती निवारण) जयपुर	राजस्थान राज्य
3.	सेशन न्यायाधीश का न्यायालय और 2रा अपर सेशन न्यायाधीश, एसएएस नगर	पंजाब राज्य
4.	सेशन न्यायाधीश का न्यायालय और 2रा अपर सेशन न्यायाधीश, गुडगांव	हरियाणा राज्य
5.	सेशन न्यायाधीश का न्यायालय और 2रा अपर सेशन न्यायाधीश, चंडीगढ़	चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र
6.	प्रथम अपर जिला और सेशन न्यायालय, कोयंबटूर	कोयंबटूर, धर्मापुरी, डिंडिगुल, ईरोड, कृष्णागिरी, नामक्कल, निलगिरी, सलेम और तिरुप्पुर जिले

7.	दूसरा अपर जिला और सेशन न्यायालय, पुदुचेरी	पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र
8.	सेशन न्यायाधीश, इंफाल ईस्ट	मणिपुर राज्य

2. स्तंभ संख्या (2) में उल्लिखित उपर्युक्त न्यायालय स्तंभ संख्या (3) में उल्लिखित अधिकारिता की बाबत विशेष न्यायालय की अधिकारिता का प्रयोग करेंगे।

[फा. सं. 01/12/2009-सीएल-I (खंड-IV)]

अमरदीप सिंह भाटिया, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2016

S.O. 2843(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 435 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby, with the concurrence of the Chief Justice of the High Courts of Chhattisgarh, Rajasthan, Punjab and Haryana, Madras and Manipur, designates the following Courts as Special Courts for the purposes of providing speedy trial of offences punishable with imprisonment of two years or more under the Companies Act, 2013, namely:-

TABLE

Sl. No.	Existing Court	Jurisdiction as Special Court
(1)	(2)	(3)
1.	Sessions Judge, Bilaspur	State of Chhattisgarh
2.	Court of Special Judge, (Sati Niwaran), Jaipur	State of Rajasthan
3.	Court of Sessions Judge and 2 nd Additional Sessions Judge, S.A.S. Nagar	State of Punjab
4.	Court of Sessions Judge and 2 nd Additional Sessions Judge, Gurgaon	State of Haryana
5.	Court of Sessions Judge and 2 nd Additional Sessions Judge, Chandigarh	Union Territory of Chandigarh
6.	I Additional District and Sessions Court, Coimbatore	Districts of Coimbatore, Dharmapuri, Dindigul, Erode, Krishnagiri, Namakkal, Nilgiris, Salem and Tiruppur.
7.	II Additional District and Sessions Court, Puducherry	Union Territory of Puducherry
8.	Sessions Judge, Imphal East	State of Manipur

2. The aforesaid Courts mentioned in column number (2) shall exercise the jurisdiction as Special Courts in respect of jurisdiction mentioned in column number (3).

[F. No. 01/12/2009-CL-I (Vol-IV)]

AMARDEEP SINGH BHATIA, Jt. Secy.